प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 09.06.2026

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01.कृष्णदेव सिंह पुत्र रामनरेश निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर 02. महिला वारण्टी मीरा पत्नी बैजनाथ निवासी रूईहट्टा थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री सहेन्द्र यादव, कां0 वीरेन्द्र रावत ,महिला पीआरडी चन्दा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 15 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा मारपीट में घायल 01 महिला को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत दुधारा से कालर द्वारा मारपीट मे घायल 01 महिला (1. मारया पत्नी अजीजुल्लाह ग्राम बन्नी थाना दुधारा जनपद संतकबीरगनर) के सम्बन्ध में सूचना दिया ,सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल महिला को एम्बुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिला को एम्वुलेंस की सहायता से सी0एच0सी0 सेमरियावा भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 बृजेश यादव, हो0गा0 राजेश कन्नौजिया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 204 वाहनों से 2,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 09.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 204 वाहनों से 2,09,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 217/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1)/117(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता प्रिंस सिंह पुत्र श्याम सुन्दर सिह उर्फ पप्पू सिंह निवासी कुडवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 09.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 27.05.2026 को वादी श्री अवधेश पुत्र केसर निवासी कुड़वा थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वादी के भाई संजय के साथ मारपीट करने जिससे उनके बेहोश होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 09.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामवशिष्ट, कां0 धर्मेन्द्र यादव ,रि0का0 रामबाबू।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में 02 अभियोगों में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 236/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस व मु0अ0स0 238/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तगण नाम पता 1.नितेश कुमार यादव पुत्र राम मूरत यादव निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर सम्बन्धित मु0अ0स0 238/2026 उपरोक्त व 02.प्रमोद कुमार मौर्या पुत्र बाल गोविन्द मौर्या निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद सन्त कबीर नगर 03.अनिल कुमार मौर्या पुत्र जयराम मौर्या निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 236/2026 उपरोक्त को आज दिनाँक 09.06.2026 को बाराखाल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 08.06.2026 को मु0अ0सं0 236/2026 उपरोक्त के वादी श्री नितेश यादव पुत्र राममूरत यादव निवासी बाराखाल थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर व दिनांक 09.06.2026 को मु0अ0सं0 238/2026 उपरोक्त के वादी अनिल मौर्या पुत्र जयराम मौर्या निवासी बाराखाल थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी जिसमें क्रमशः पवन यादव व सुग्रीव को प्राणघातक गम्भीर चोटें आने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों को आज दिनांक 09.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरि0उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 मुरलीमनोहर , हे0का0 कुंजविहारी यादव , रि0का0 अंकित रजक , रि0का0 समर बहादुर।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 1.3 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अजय कुमार पुत्र प्रभुनाथ राय निवासी उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डड़वा नहर के पास से 1.3 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ दिनाँक 09.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अजय कुमार पुत्र प्रभुनाथ राय निवासी उतरावल थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0स0 490/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

1.3 किलोग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री प्रभान्शु राय, का0 सत्यप्रकाश, का0 जयकिशन, का0 सचिन, का0 बृजेश वर्मा, का0 सिद्धार्थ शुक्ला, का0 अपूर्व त्रिपाठी।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष बखिरा *श्री उमाशंकर त्रिपाठी* के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0स0 225/2026 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डी0पी0 एक्ट मे वांछित अभियुक्त कन्हैया पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम तिघरा थाना बखिरा को तिघरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित व मारपीट कर रहा था दहेज की मांग पूरी न करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनाँक 06.06.2026 फाँसी लगाकर मार देने के संबंध में वादी द्वारा थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध गंभीरता से लेते हुए थाना बकिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष बखिरा श्री उमाशंकर त्रिपाठी, हे0का0 रमेश मिश्रा ,का0 अंगद यादव, रि0का0 अनुराग सिंह।